राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–18/2024 2608

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
वैशाली।

पटना, दिनांक– 14.6.24

विषय :– प्रखंड पातेपुर ग्राम पंचायत मौदह चतुर के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 871 दिनांक 28.05.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त के संबंध कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा **प्रखंड पातेपुर ग्राम पंचायत मौदह चतुर के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी** प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि –

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (4)(II) एवं बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 06 में प्रावधान है कि उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना में कार्य संव्यवहार (कारण/आरोप) को विनिर्दिष्ट किया जाना है, परन्तु प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा भूलवश कारण/आरोप वाला सूचना के स्थान पर **प्रखंड पातेपुर ग्राम पंचायत मौदह चतुर के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना जो ग्राम पंचायत सदस्यों को प्राप्त कराये गये हैं, में कारण/आरोप अंकित नहीं है। जो नियमानुकूल नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रखंड पातेपुर ग्राम पंचायत मौदह चतुर के उप मुखिया के रिक्त पद पर वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है परंतु आयोग विशेष बैठक की प्रक्रिया के संबंध में तटस्थता एंव अहस्तक्षेप का अभिगत रखता है।

अनुरोध है कि उक्त आलोक में अग्रेतर कारवाई हेतु पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त की जाय।

विश्वासभाजन,
14/6/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

13.6.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com